

## प्रेस नोट

दिनांक 28.09.2020

सराहनीय कार्य थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी

रुपए 25,000/ का ईनामिया व शातिर अपराधी 01 अवैध तमंचा व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार ।

पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री दिनेश सिंह के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक श्री दयाराम सरोज के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी अमेठी श्री अर्पित कपूर के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के धर पकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 28.09.2020 को प्रभारी निरीक्षक संग्रामपुर राजीव सिंह मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 406/20 धारा 420,467,468,471,257,258,272,307120बी भादवि व 60/72 आबकारी अधिनियम व 63 कापीराइट एक्ट व 104 ट्रेडमार्क अधिनियम में वांछित व ईनामिया अभियुक्त राजेश जायसवाल पुत्र राम करन जायसवाल नि0 दहियावां थाना पीपरपुर जनपद अमेठी को रघुईपुर मोड़ के पास से समय करीब 08:10 बजे सुबह गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त रूपये 25,000/ का ईनामिया व शातिर अपराधी है । अभियुक्त की तलाशी से 01 अदद अवैध तमंचा व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ । थाना संग्रामपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

**गिरफ्तारी का स्थान:-** रघुईपुर मोड़ के पास से **समय-** 08:10 बजे सुबह **दिनांक-** 28.09.2020

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

- राजेश जायसवाल पुत्र राम करन जायसवाल नि0 दहियावां थाना पीपरपुर जनपद अमेठी ।

**बरामदगी-**

- 01 अदद अवैध तमंचा व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर ।

**पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-**

- मु0अ0सं0 359/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी ।

**गिरफ्तार करने वाली टीम-**

1. प्र0 नि0 राजीव सिंह थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी ।
2. उ0नि0 शिवजनम यादव थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी ।
3. का0 प्रदीप वारी थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी ।
4. का0 पुष्पराज विश्रोई थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी ।
5. का0 पुनीत खोखर थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी ।

**अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-**

1. मु0अ0सं0 23/18 धारा 504,506,353 भादवि व 2/3 लोक संपत्ति क्षति निवारण अधि0 पीपरपुर जनपद अमेठी ।
2. मु0अ0सं0 89/19 धारा 60/72, 60(1) आबकारी अधिनियम व 272 भादवि थाना लम्भुआ जनपद सुल्तानपुर ।
3. मु0अ0सं0 229/19 धारा 2/3 यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना लम्भुआ जनपद सुल्तानपुर ।
4. मु0अ0सं0 406/20 धारा 420,467,468,471,257,258,272,307120बी भादवि व 60/72 आबकारी अधिनियम व 63 कापीराइट एक्ट व 104 ट्रेडमार्क अधिनियम थाना व जनपद अमेठी ।
5. मु0अ0सं0 359/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी ।